

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 263656  
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0-(जीर्णोद्धार)-143/2011

पटना, दिनांक 27/02/16

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,  
भोजपुर, गया, कटिहार एवं सारण ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि के आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-244376 दिनांक-27.08.15

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत 01.04.2004 के पूर्व के इंदिरा आवास योजना के लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को अधूरे/अपूर्ण आवास को पूर्ण करने के लिए सहायक अनुदान के रूप में प्रति लाभुक ₹ 30,000 (तीस हजार रुपये) सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹ 3965.10 लाख (उनचालीस करोड़ पैंसठ लाख दस हजार रुपये) का आवंटन निम्न रूप से (कॉलम-3) किया जाता है :-

(रूपये लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	मुख्य मंत्री जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत आवंटित राशि
1	2	3
1.	भोजपुर	253.20
2.	गया	1461.00
3.	कटिहार	1335.30
4.	सारण	915.60
कुल :-		3965.10

- राशि का आवंटन विभागीय पत्र संख्या-244376 दिनांक-27.08.15 द्वारा स्वीकृत राशि के अंतर्गत की जाती है ।
- आवंटित राशि मॉग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2216-आवास-उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास-लघु शीर्ष-105-इंदिरा आवास योजना, उप शीर्ष-0789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अंतर्गत उप शीर्ष-0103-मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना, विपत्र कोड-पी.2216037890103, विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।



- 4) आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।
- 5) ग्रामीण विकास विभाग के मांग संख्या-42 के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-2216 के लिए सभी उप विकास आयुक्त पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं, अतएव स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।
- 6) आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561वि.(2) दिनांक-17.04.98 एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 विपत्र वित्त विभागीय सुसंगत परिपत्र में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पित की जायेगी ।
- 7) वित्त विभाग के पत्र संख्या-7355 वि.(टि.) दि0-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।
- 8) संबंधित उप विकास आयुक्तों से अनुरोध है कि आवंटित राशि की अग्रिम निकासी कर विभागीय संकल्प संख्या-197148 दिनांक-21.08.14 एवं विभागीय पत्रांक-198808 दिनांक-01.09.14 में निहित मार्गदर्शनों के आलोक में राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी महालेखाकार, बिहार, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को अविलम्ब उपलब्ध करावें ।
- 9) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन



(प्रमोद कुमार बिहारी)

सरकार के विशेष सचिव

जापांक 263656

पटना, दिनांक 27/02/16

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव

जापांक 263656

पटना, दिनांक 27/02/16

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, मगध (गया), सारण एवं पूर्णियाँ /जिला पदाधिकारी, भोजपुर, गया, कटिहार एवं सारण/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, गया, कटिहार एवं सारण/श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/ प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव